भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 20

उत्तर देने की तारीखः 29.11.2021

भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय

20. श्री संजय भाटिया:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए कोई प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार द्वारा कोई योजना या नई शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा नीति तैयार की जा सके तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) और जवाहर नवोदय विद्यालयों (जनवि) में नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित हैं। केवि और जनवि में भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के लिए निम्नलिखित को लागू किया गया है:

i) भिन्न रूप से सक्षम छात्रों के लिए बाधा मुक्त पहुँच विद्यालय भवन डिजाइन का अभिन्न अंग है। स्कूलों के साथ-साथ छात्रावास भवनों में भी रैंप और विशेष शौचालयों का निर्माण किया जाता है।
ii) शिक्षकों को छात्रों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

iii) भिन्न रूप से सक्षम बच्चों के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष शिक्षकों की सेवाओं को शामिल करना।

iv) सहायक संवर्धित उपकरणों की आवश्यकता आधारित खरीद।

v) वीवीएन और ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट।

vi) सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन कर रहे बेंचमार्क विकलांगता वाले सभी छात्रों के लिए परीक्षा समय में छूट, भूतल पर बैठने की व्यवस्था और सभी परीक्षाओं में लिपिक / लेखक की सुविधा प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ख): सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया है और उक्त अधिनियम सरकार और स्थानीय अधिकारियों को विकलांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) को समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु उपाय करने के लिए बाध्य करता है। इसके अलावा, यह अधिनियम उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है कि बेंचमार्क विकलांग (40% या अधिक की विकलांगता) वाले प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उचित वातावरण में मुफ्त शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।

केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की एक एकीकृत योजना है, जिसमें प्री-प्राइमरी से वरिष्ठ माध्यमिक तक के बच्चों को शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए समावेशी शिक्षा हेतु एक समर्पित घटक है जिसके माध्यम से शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रावधान जैसे, पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायक उपकरण का प्रावधान, सहायक साधन, शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) आदि उपलब्ध कराए जाते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शिक्षा की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेश की वकालत करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में कामयाब हो सकें। यह अपने ढांचे के भीतर, समान गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा को भी रेखांकित करती है। समग्र शिक्षा योजना को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

*****